

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:-35/11

दायर दिनांक:- 03.02.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00308

उनवान

रामस्वरूप पुत्र श्रीशंकर जाति माली निवासी वैधबाडा हिण्डौन तहसील  
हिण्डौन जिला करौली राज0

वादी

बनाम

रामचरण पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी वैधबाडा तहसील हिण्डौन  
जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण-10

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 22.12.2016 से साक्ष्यवादी में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 35/11 रामस्वरूप बनाम रामचरण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

